संख्या-129/2021/ई-102218 /71-3-2021-जी-229/2016

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 29 सितम्बर, 2021

विषयः- केन्द्र सहायितत योजना (फेज-1) के अंतर्गत संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0 अ0/2020/2108, दिनांक 16-10-2020, जिसके द्वारा राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 18901.19 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष मेडिकल कालेज, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु अब तक निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016	500.00
2	संख्या-204/2016/3057/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 19-12-2016	1000.00
3	संख्या-77/2017/881/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 22-05-2017	554.16
4	संख्या-121/2017/3444/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 03-11-2017	5500.00
5	संख्या-04/2018/111/71-3-2018-जी-229/2016, दिनांक 24-03-2018	4500.00
6	संख्या-46/2018/1034/71-3-2018-जी-158/2017टीसी-5, दिनांक 17-12-2018	1000.00
7	संख्या-60/2019/386/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 27-03-2019	150.00
8	संख्या-72/2019/485/71-3-2019-जी-229/2016, दिनांक 29-04-2019	1200.00
9	संख्या-776/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 02.08.2019	3000.00
10	संख्या-89/2019/1295/71-3-2018-61/2018टीसी-2, दिनांक 22.11.2019	1193.00
	योग	18597.16

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु **द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 245.6418 करोड़ (रूपये दो अरब पैंतालिस करोड़ चौसठ लाख अट्ठारह हजार मात्र)** की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
4. प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, सब स्टेशन इक्यूपमेन्ट, मेडिकल इक्यूपमेन्ट, डी0जी0 सेट एवं ट्रान्सफार्मर का प्राविधान किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
5. प्रायोजना प्रस्ताव में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
6. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
7. प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं के यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
8. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।
9. प्रायोजनान्तर्गत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
11. प्रायोजनान्तर्गत व्यय वित्त् समिति द्वारा लगायी गयी सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
12. कार्य की गुणवत्ता दारीमानक एवं विशिष्टियों की जिम्मे महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।
13. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
14. निष्प्रोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
15. प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17. आगणन में सम्मिलित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
18. प्रायोजना का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चत किया जाए।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1231/दस-2020-21, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-129/2021/ई-102218(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, अयोध्या।
7. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
8. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।